राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2323/2016.....जिला.....अलवर.....

उनवान – मैसर्स कोल्ड स्टील कार्पोरेशन, अलवर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 13/99926400263/आरवेट/2016–17/अपी.प्राधि./अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.09.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26 व 55 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा व्यवसायी का वर्ष 2011–12 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.02.2014 को पारित किया गया। उक्त आदेश की पुनः जांच पर पाया गया कि व्यवसायी ने राज्य के भीतर से खरीद किये गये प्रारम्भिक स्टॉक रूपये 18,27,49,521/– में से संविदा कार्य में प्रयुक्त माल (आयरन एण्ड स्टील) का 51.88 प्रतिशत (9,48,10,451/–) पर 4 प्रतिशत से रिवर्स टैक्स रूपये 37,92,418/– घोषित किया गया था, जिसे मूल कर निर्धारण में स्वीकार कर लिया गया था। आलौच्य अवधि में आयरन स्टील पर 5 प्रतिशत की दर से कर दर निर्धारित होने के फलस्वरूप मूल कर निर्धारण आदेश में 1 प्रतिशत की दर से कम रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर आरोपित रिवर्स टैक्स रूपये 9,48,105/– एवं ब्याज रू. 5,21,458/– कुल मांग राशि रू. 14,69,563/– को यथावत रखा। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री पंकीज घीया व विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा वित्त बिल 2014 के तहत अधिनियम की धारा 26(1) में गये स्पष्टीकरण – "The assessment under this shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed or deemed to have been assessed under the provision of this Act." को दिनांक 31.07.2014 से डिलीट कर दिया गया है। जिससे अधिनियम की धारा 26 के तहत लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2323/2016.....जिला.....अलवर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकामं जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/2016	अपीलार्थी का आलौच्य अवधि के टर्न ओवर को पुनः Re-opened/ reassessed नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी ने पुनरीक्षित "प्रत्यावर्तित कर विवरण" प्रस्तुत कर दिया था जिस पर निर्धारण अधिकारी ने बगैर ध्यान दिये आदेश पारित किया है, जो अविधिक व अनुचित है। अतः उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी पर आरोपित रिवर्स टैक्स एवं ब्याज कुल राशि रूपये 14,69,563/— में से बकाया मांग राशि रू. 13,74,563/— को अपील के निरतारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। उक्त आरोपित कर राशि आयरन एण्ड स्टील को कार्य संविदा में प्रयुक्त करने पर 4 प्रतिशत कर प्रत्यावर्तित करने के कारण हुई है, जबकि आलौच्य अवधि में आयरन एण्ड स्टील पर 5 प्रतिशत कर देयता होने से 5 प्रतिशत कर प्रत्यावर्तित होना चाहिये था। अतः कम कर प्रत्यावर्तित किये जाने से निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण पर 5 प्रतिशत कर प्रत्यावर्तित (Reverse Tax) तथा आनुषंगिक ब्याज आरोपण किया है जिसमें धारा 26 का स्पष्टीकरण कतई बाधित नहीं करता है। अतः प्रथम दृष्टया आरोपित कर व ब्याज के मामले में सुविधा संतुलन राजस्व के पक्ष में प्रतीत होता है। तथापि ब्याज राशि रूपये 5,21,458/— वसूली पर रोक इस शर्त के साथ लगाई जाती है कि 1.) अपीलार्थी शेष बकाया राशि राजकोष में जमा करायेगा। 2.) अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावोगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अपील का निस्तारण 3 माह में प्राथमिकता के आधार पर करें। अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। 22.11.2016 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	